न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2017/00599

वसीम अकरम आयु 30 वर्ष आत्मज अब्दुल करीम जाति मुसलमान निवासी मकान नं0 194 जी लोको कॉलोनी कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

औंकार लाल आत्मज श्री कल्याण जी जाति धाकड निवासी ग्राम चन्द्रेसल तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामरतन मीणा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 22.02.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चन्द्रेसल तहसील लाडपुरा जिला कोटा में आराजी खरा नम्बर 1912 रकबा 0.14 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी के खाते व कब्जे की आराजी है । उक्त भूमि वादी के द्वारा खातेदार भवानीशंकर उर्फ भगवानशंकर आत्मज श्रीराम नाथ चेला सरवन जाति गोस्वामी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.12.2015 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है । उक्त भूमि

प्रार्थी के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जाकर वादी का नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया तब से ही प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है । कुछ दिनों से अप्रार्थी प्रार्थी के खातेदारी की भूमि पर उनके कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है । अप्रार्थी उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा नहीं करे, प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थी करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. अप्रार्थी कम 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.11.2017 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.11.2017 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.12.2015 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तब से ही उक्त भूमि अपीलान्ट बहैसियत काबिज काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रिकॉर्ड के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खाते एवं कब्जे की है । खसरा नम्बर 1912 रकबा 0.14 हैक्टर आराजी पर वादी बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है । इस आराजी को अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.12.2015 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है । नामान्तरकरण भी अपीलान्ट के नाम तस्दीक किया जा चुका है । रेस्पोडेन्ट जबरन कब्जा करना चाहता है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रभाव से कुछ व्यक्तियों के शपथ पत्र पेश कर अपना कब्जा साबित करने का प्रयास किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने तथाकथित शपथ पत्रों पर भरोसा करते हुए प्रार्थना पत्र

खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने बिना कब्जे के वादग्रस्त आराजी क्रय की है इस आराजी पर कब्जा कदीमी समय से रेस्पोडेन्ट का है । रेस्पोडेन्ट ने अपने कब्जे को प्रमाणित करने के लिए गॉव के कई व्यक्तियों के शपथ पत्र पेश किये हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर से नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति, भू–प्रबन्ध विभाग की नकल जमाबन्दी संवत् 2038–2057 की फोटो प्रति, फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति केचमेंट मिलान क्षेत्रफल नकल जमावंदी सवंत 2071–2074 की फोटोप्रति, विक्रय पत्र दिनांक 20.12.15 की प्रति संलग्न हैं। इसके अलावा पत्रावली पर सत्यनारायण, कस्तूरचन्द, रामकंवर, हेमराज, बंशीलाल, प्रहलाद, नन्दकिशोर, बद्रीलाल, मोडूलाल, दीनदयाल, ओमप्रकाश, महावीर, मुकेश, सुरेश, छोटूलाल, नन्दकिशोर, रामकैलाश, निर्मल, कृष्ण मुरारी और मदन लाल के शपथ पत्र पेश किये गये हैं । इन सभी ने शपथ पत्र में कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1912 रकबा 0.14 हैक्टर का कोई अस्तित्व नहीं है । केचमेंट विभाग ने इस रकबे को औंकार को संभलाया था जिस पर औंकार लाल का कब्जा है । वसीम अकरम का चन्द्रेसल की किसी भी आराजी पर कब्जा नहीं है ।

11. पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी वसीम अकरम के खाते में दर्ज है । विक्रय पत्र की फोटो प्रति भी संलग्न है जिसके अनुसार भवानीशंकर से वसीम अकरम ने वादग्रस्त आराजी सन् 2015 में क्रय की है । वादी के द्वारा यह कथन करते हुए अस्थायी निषेधाा का प्रार्थना पत्र पेश किया है कि वो वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं और प्रतिवादी उनके कब्जे में हस्तक्षेप कर रहे हैं इसलिए उन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे । उनके द्वारा फोटो प्रति नकल जमाबन्दी पेश की गई है परन्तु अपने कब्जे के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज अथवा शपथ पत्र पेश नहीं किये हैं और रेस्पोडेन्ट के द्वारा कई व्यक्तियों के शपथ पत्र पेश किये हैं जिनके द्वारा यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्ट का है । इसके खण्डन में अपीलान्ट ने कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया है और न ही कोई दस्तावेज पेश किये हैं । केचमेंट का जो मिलान क्षेत्रफल पेश किया है उसमें भी कल्याण पुत्र देवा, मोतीलाल वगै0 के गत इन्द्राज खसरा नम्बर 200 रकबा 0.24 हैक्टर के वर्तमान इंद्राज में खसरा नम्बर 1912 रकबा 0.02 हैक्टर और गत इन्द्राज खसरा नम्बर 194 रकबा 0.97 हैक्टर हाल इन्द्राज में अन्य खसरा नम्बरान के साथ खसरा नम्बर 1912 रकबा 0.08 हैक्टर अंकित किया गया है।

12. वादी को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होता है । प्रार्थी अपीलान्ट धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की सहायता प्राप्त करने हेतु वादग्रस्त आराजी पर अपने कब्जे को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश की गई साक्ष्य का खण्डन भी नहीं किया गया है । इस प्रकार प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट प्रार्थी के पक्ष में तय नहीं पाया जाता है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2017 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा